ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 219-221

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

भारत में महिला हिंसाः कोरोना काल के सन्दर्भ में

डॉ0 अवधेश तिवारी

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, सुमित्रानन्दन पन्त राजकीय महाविद्यालय गरुड़, बागेश्वर (उत्तराखण्ड) भारत

Received-14.02.2023, Revised-20.02.2023, Accepted-26.02.2023 E-mail: awadheshtiboss108@gmail.com

सारांशः ***दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान नामक शहर में कोविड–19 नामक एक बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया, जो देखते ही देखते संपूर्ण विश्व में फैल गई। इसकी भयावहता एवं संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित कर दिया। इस नये वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, जिसका प्रभाव संपूर्ण जनमानस पर दिखाई देता है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाती है, लोगों का आव्रजन अपने मूल स्थान को होने लगता है, सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना में तीव्रतर परिवर्तन होते हैं। कोरोना के इस प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर ने भारत में भी अपना रंग दिखाया। लोग बेरोजगार होते हैं, कितनों का घर उजड़ जाता है, लोग सहमें से अपने ही घरों में कैद रहते हैं, सामाजिक गतिशीलता अत्यंत कम हो जाती है तो दूसरी तरफ लोग तनावग्रस्त होते हैं, जिसका प्रभाव महिलाओं के प्रति हिंसा एवं पारिवारिक संबंधों पर पड़ता है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा का कोरोना काल से पूर्व एवं कोरोना काल में द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में कोरोना काल की परिस्थितियों एवं महिला हिंसा के संबंध में तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– महिला हिंसा, भयावहता, संक्रमण, जनमानस, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, तीव्रतर परिवर्तन, आवजन, निर्वाह।

यह सर्वविदित सत्य है कि महिलाओं के अभाव में किसी भी समाज की कल्पना करना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बिना हवा के प्राणियों का जीवित रहना। महिलाएँ सम्पूर्ण मानव समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी बड़ें बिडम्बना की बात है कि अधिकतर पितृवंशीय समाज उनको एक सम्पत्ति के रूप में मानता है। सामाजिक संरचना एवं अंतः सम्बन्ध महिलाओं से ही उद्भूत होते हैं, जिसके द्वारा प्राथमिक सम्बन्धों का सृजन एवं निर्वाह किया जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति हमेशा बदलती रही है जिसका प्रमुख कारण देश, काल, परिस्थिति के साथ–साथ देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनशीलता है।

ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को ब्रह्मचर्य धारण करने, उपनयन संस्कार करने, यज्ञ करने, वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने आदि का पूरा अधिकार था। महिलाओं – पुरुषों में समानता के भाव थे एवं अपराध कम हुआ करते थे। महिलाओं की प्रस्थिति में उत्तरवैदिक काल के बाद निरन्तर निरावट आती है और इसका अत्यंत घृणित रूप मुस्लिम काल में दृष्टिगोचर होता है, जिसमें महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों में सती प्रथा जैसे घृणित अपराध भी शामिल होते हैं। मध्य काल में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में लड़कियों के विवाह की आयु 8वर्ष या 10वर्ष स्वीकार की गयी है। मत्स्य पुराण में कहा गया कि पत्नी को सुधारने के लिए उसको रस्सी या बाँस की फर्राटी से पीटा जा सकता है, किन्तु उसके सिर पर चोट नहीं करनी चाहिए। सतीत्व का पूरा दायित्व स्त्रियों पर था, किन्तु पुरुष महिला के प्रति कितनी भी भयावह हिंसा करे लेकिन उसके सब अपराध क्षम्य थे। इसी समय सती प्रथा भी प्रचालन में आती है, जिसमें महिलाओं को जिन्दा उसके पति की चिता पर जला दिया जाता था।

ब्रिटिश औपनिवेशक काल में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को वैज्ञानिक नजरिये से देखने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में विविध समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय समाज में होने वाली महिला हिंसा को समाप्त करने हेतु विविध नियम – अधिनियम पारित कराये गये जो भारतीय प्रथाओं एवं परम्पराओं द्वारा पोषित थे। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में ईश्वरचन्द विद्यासागर, राजा राममोहन राय व दयानन्द सरस्वती का नाम प्रमुख रूप से आता है। इस तरह धीरे–धीरे महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को धर्म या प्रथाओं के माध्यम से देखने की अपेक्षा कानून एवं आधुनिक सामाजिक न्याय के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ।

एक लम्बे काल से भारतीय समाज के अंतर्गत महिलाएँ अवमानना, यातना एवं शोषण की शिकार रही हैं। विभिन्न साक्ष्यों से विभिन्न कालों के सामाजिक संगठन एवं पारिवारिक संरचना के सम्बन्ध में लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों का हमेशा शिकार होना पड़ा है। महिला हिंसा केवल आज की ही समस्या नहीं हैं अपितु इसके प्रमाण में इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य, गवाह हैं कि विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों व समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने महिला उत्पीड़न में योगदान दिया है। बनाये गये कानूनों, अधिनियमों व महिला शिक्षा के प्रसार के बावजूद महिला

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

हिंसा में कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

'महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को प्रमुखतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है। पहले प्रकार की हिंसा आपराधिक हिंसा है जिसमें बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इत्यादि शामिल है। दूसरे प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा है, जिसमें दहेज मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार तथा विधवाओं के प्रति दुर्व्यवहार शामिल हैं। तीसरे प्रकार की हिंसा सामाजिक हिंसा है, जिसमें पत्नी या पुत्रवधु को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, विधवा को सती होने के लिए प्रेरित करना तथा पुत्रवधु या पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित करना इत्यादि शामिल है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में विविध मत–मतान्तर हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। महिलाओं के प्रति पूर्वधारणा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण व शहरीकरण के साथ–साथ दूरदर्शन व फिल्में भी महिला हिंसा को बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध हुई हैं। कामुकता से उत्प्रेरित हिंसा में पोर्नोग्राफ, फिल्में, विलम्ब विवाह इत्यादि काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। कभी–कभी हिंसा पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयमेव भड़काई जाती है, जो हमलावर को हिंसापूर्ण व्यवहार को करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अपराध को उत्प्रेरित करने के पश्चात कतिपय विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने की स्थिति में पीड़िता बदल जाती है एवं व्यक्ति अपराध के दायरे में आ जाता है।

नशा भी महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रमुख कारण है। विभिन्न मादक द्रव्यों के सेवन के पश्चात व्यक्ति का आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाता है, और तदोपरांत किसी को अपराध करने में संकोच नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों की मनोदशाओं में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना पायी जाती है जो इतनी गहरी होती है कि हिंसापूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य पीड़ित महिला को अपमानित करने के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में कुछ परिस्थितियों एवं अनुभवों के आधार पर यह घृणा एवं विद्वेष उत्पन्न होता है जो काफी समय तक बना रहता है।

हिंसा परिस्थितियों से भी उत्प्रेरित होती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं कि व्यक्ति हिंसा करने के लिए बाध्य होता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा उकसाना या हिंसा के लिए यथोचित समय व स्थान का प्राप्त होना भी शामिल है। हिंसा जैसे कारण में व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शांत, सदाचारी व विवेकपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हिंसा से दूर भागता है, जबकि वासनापूर्ण, विवेकहीन, व्यभिचारी, शक्की, ईर्ष्यालु जैसे दुर्गुणों से पूर्ण व्यक्ति हिंसा करने से नहीं डरता है।

कामुकता मानव समाज का सर्वविदित सत्य है जो आदिकाल से मानव वंश की निरन्तरता को वर्तमान समय तक बनाये रखा है। आधुनिक मानवीय जीवन शैली में बढ़ती हुई विलासिता एवं भौतिकता के परिणामस्वरूप मानवीय कामुकता में वृद्धि हुई है, जो बढ़ती हिंसा एवं तनाव के लिए उत्तरदायी है। कामुकता के नियंत्रण के अनौपचारिक कारक जैसे धर्म एवं नैतिकता के महत्व में कमी आने से एवं औपचारिक कारकों तथा कानून के बढ़ते महत्व ने कामुकता के स्वरूप में परिवर्तन लाया है। कामुकता से होने वाले हिंसा का स्तर बढ़ा है और समाज में बच्चों से वृद्ध तक घरेलू औरतों से लेकर सेक्स वर्कर तक उसमें शामिल हो सकते हैं।

उत्तर आधुनिकतावादी लेखक फूको ने अपनी पुस्तक 'दि हिस्ट्री आफ सेक्सुअलिटी' के तीन खंडों के माध्यम से कामुकता में होनें वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। फूको के मतानुसार, 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्म एवं नैतिकता के दृष्टि से कामुकता पर चर्चा करना वर्जित था, यह मात्र वैवाहिक जीवन तक सीमित था। 18वीं शताब्दी में सत्ता के स्वामियों ने कामुकता को बढ़ाया और भोगा। अतः यह राजा महाराजाओं एवं सेठ साहूकारों का विमर्श बना। यूरोप में 18वीं शताब्दी में बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि ने कामुकता को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया एवं जनांकिकी का उदय हुआ। फूको ने कामुकता को शक्ति एवं ज्ञान के साथ जोड़ते हुए कहा कि अब कामुकता सरकार का विषय बन गया है और कामुकता से जुड़ी समस्याओं पर जो अपना परामर्श देते हैं वे अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। फूको ने कामुकता के दो अर्थबोध पर ध्यान दिया–प्रथमतः वह जो कामुकता को प्यार का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसको कला एवं सौन्दर्य के अनुभूति के रूप में पिरोया गया, जैसे भारत के खजुराहो मन्दिर की कलाकृतियां निरी कामुकता का प्रतीक न होकर कला एवं सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है, दूसरी ओर यौन सच्चाई ही कामुकता का प्रतीक है। अब कामुकता प्रेम की कला नहीं है, अब इस पर खुलकर चर्चा की जाती है। अब सेक्स से सम्बन्धित बीमारियों एवं रोगों के बचाव के लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी है। कामुकता से आशय व्यक्ति के यौन प्रवृत्ति से लिया जाता है। कोई भी चीज तभी तक ठीक मानी जाती है, जब तक वह समाज के मानदण्डों के अनुरूप हो एवं सन्तुलित हो। किसी भी प्रवृत्ति का असन्तुलन समाज के लिए उचित नहीं माना जाताद्य

सम्पूर्ण विश्व में दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान नामक शहर में कोविड–19 नामक एक बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया। इस नये वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, जिसका प्रभाव संपूर्ण जनमानस पर दिखाई देता है, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है एवं सामाजिक गतिशीलता में बाधा उत्पन्न

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

हो जाती है। कोरोना के इस प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संगठन को काफी प्रभावित किया। इस दौरान महिला हिन्सा के विभिन्न आयाम देखने को मिलते है। वर्ष 2017 से 2021 तक महिला हिंसा के सम्बन्ध में प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विवरण निम्नवत है–

क्रमांक	अपराध का प्रकार	2021	2020	2019	2018	2017
01	हत्या एवं बलात्कार या गैंग रेप	284	219	283	294	223
02	दहेज़ हत्या	6753	6966	7115	7166	7466
03	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	5292	5040	5009	5037	5282
04	गर्भपात कराना	196	239	221	213	266
05	तेज़ाब से आक्रमण	102	105	150	131	148
06	तेज़ाब से आक्रमण का प्रयास	48	33	42	37	35
07	पतियों या उनके सम्बन्धी द्वारा निर्दयता	136234	111549	125298	103272	104551
08	भगाना या बल पूर्वक अपहरण	75369	62300	72780	72751	66333
09	मानव व्यापार	914	646	966	854	662
10	छोटी लड़कियों को बेचना	12	12	22	40	80
11	छोटी लड़कियों को खरीदना	02	01	08	08	04
12	बलात्कार	31677	28046	32033	33356	32559
12.1	महिला का बलात्कार	28644	25406	27093	24044	22500
12.2	लड़कियों का बलात्कार	3033	2640	4940	9312	10059
13	बलात्कार का प्रयास	3800	3741	3944	4097	4154
14	बलात्कार के इरादे से आक्रमण या छेड़छाड़ के इरादे का प्रयास	89200	85392	88367	89097	86008
15	महिला (शील) लज्जा का अपमान करना	7788	7065	6939	6992	7451
16	दहेज़ निषेध अधिनियम	13568	10366	13297	12826	10189
17	अनैतिक व्यपार निरोधक अधिनियम	1071	868	1185	1459	1536
18	घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम	507	446	553	579	616
19	साइबर क्राइम	2597	2334	1621	1244	600
20	पास्को एक्ट (बच्चो के प्रति लैंगिक अपराध)	52836	46123	46005	38802	31668
21	महिलाओं का अश्लील चित्रण	28	12	23	22	25

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 के आंकड़ों से भारत में महिला हिंसा के संबंध में कुछ तथ्य उभरकर आते हैं। 24 मार्च 2020 को भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया जाता है। यह लॉकडाउन पांच चरणों में 30 जून 2020 तक प्रभावी रहता है– 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से 3 मई तक (19 दिन), 4 मई से 17 मई तक (14 दिन), 18 मई से 31 मई तक(14 दिन), 1 जून से 30 जून तक (30 दिन)। 2021 में दूसरी बार चरणबद्ध तरीकें से राज्यों द्वारा वहां पर बढ़ते हुए संक्रमण के हिसाब से प्रतिबंध लगाया गया।

महिला हिंसा से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों में करोना काल में वृद्धि होती है, गर्भपात के मामले में भी आंकड़े द्वारा वृद्धि दिखाई पड़ती है, महिलाओं का उनके पतियों या सम्बन्धियों द्वारा निर्दयता के मामले में भी वृद्धि हुई, साइबर क्राइम के मामले में बेतहाशा वृद्धि दृष्टिगत होती हैद्य पास्को एक्ट के मामले में भी वृद्धि होती है, जबकि दहेज हत्या, मानव व्यापार, बलात्कार, अनैतिक व्यापार के मामले घटे हैं तथा कम उम्र की लड़कियों के खरीद फरोख्त तथा तेजाब के आक्रमण के मामले तेजी से घटे हैं। सारांशतः महामारी के इस घड़ी में महिलाओं के प्रति होने वाले गंभीर अपराधों में कमी आई है तथा उन अपराधों में वृद्धि दिखाई देती है, जो परिवार में रहकर किए जाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राम, आहुजा : क्राइम अगेंस्ट वुमन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1989.
2. राम, आहुजा : वायोलेंस अगेंस्ट वुमन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1998.
3. मोरी, बोरलैण्ड (एडि.) : वायोलेंस इन फैमिली, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, मैनचेस्टर, 19.
4. ई.बी., लियोनार्ड, : वुमन – क्राइम एण्ड सोसाइटी, लौंगमेन, न्यूयार्क, 1982.
5. हिवरमैन ई.एण्ड मन्सन एम : सिक्सटी बटर्ड वुमेन इन विक्टिमोलोजी, एन इंटरनेशनल जर्नल 1978.
6. पाण्डे, पी. : डोमेस्टिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, 2004.
7. मॉर्टिम एल. एस. (एडि.) : डोमेस्टिक वायोलेंस इन नॉदर्न इंडिया, अमेरिकन जर्नल ऑफ इपीक्लेमीओल्जी, नं. 150 (4), 1999.
8. www-azadindia % org/social&issues.
9. https%//www-orfonline-org.
10. राय, नीरज कुमार : महिला हिंसा, ब्लू बक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016.
11. सत्यार्थी, कैलाशः कोविड– 19 सभ्यता का संकट एवं समाधान, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, 2021.

*****